न्यायालय श्रीमती नीलिमा तक्षक, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 02/2022 (जीसीएमएस संख्या : 2022/3)

सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. देवकी पत्नी श्री हनुमानसहाय, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम गणेशपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. सुगनादेवी पत्नी श्री बाबूलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–वार्ड नं0–1, चाकसू, जिला –जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री सुबोध कुमार जैन, अभिभाषक, अप्रार्थिया सं0 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :23.08.2023

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त(जमाबन्दी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम सवाईमाधोसिंहपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1107 रकबा 9 बीघा आराजी खसरा नं0 1108 रकबा 13 बीघा सिवायचक लगानी किस्म जमीन तालाबी सरकारी अव्वल दर्ज है जो आवंटन के फलस्वरूप कालू पुत्र परताबा के नाम दर्ज हुई है सिवायचक लगानी तालाबी सरकारी अव्वल का आंवन्टन नहीं किया जा सकता है, अब्दुल रहमान बनाम सरकार की परिधि में आता है। अतः आंवन्टन निरस्त कर वापिस सिवायचक लगानी किस्म जमीन तालाबी सरकारी अव्वल दर्ज किया जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 16.03.2021 द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त विश्लेषण के अनुसार प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर पुनः न्यायसंगत निर्णय लिया जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे। यदि गुणावगुण के आधार पर पुनः रेफरेंस किया जाना पाया जावे तो तहसीलदार, चाकसू रेफरेंस प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः निर्णय दिनांक 16.03.2021 के अनुसरण में पुनः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1107

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

नीलिमा

रकबा 09 बीघा आराजी खसरा नम्बर 1108 रकबा 13 बीघा सिवायचक लगानी किस्म जमीन तालाबी सरकारी अव्वल दर्ज है जो कालू पुत्र परताबा को दिनांक 06.07.1966 को आवंटन किये जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या–222 दिनांक 22.06.1973 से कालू पुत्र परताबा के नाम दर्ज हुई। सम्वत् 2018 में ग्राम का एकीकरण होने के पश्चात् वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर–1107, 1108 परिवर्तित होकर खसरा नम्बर–334 रकबा 362 बीघा 07 बिस्वा में सम्मिलित हुए। वादग्रस्त आराजी विक्रय किये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी देवकी एवं सुगना देवी के नाम दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में है। सिवायचक लगानी किस्म जमीन तालाबी सरकारी अव्वल को खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी को निरस्त किये जाने एवं पुनः राजकीय खाते सिवायचक में सरकारी तालाबी अव्वल किस्म दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण भेजा जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विद्वान् अभिभाषक श्री सुबोध जैन का कथन है कि रेफरेंस प्रार्थना–पत्र कतैय गलत वेग तथा वास्तविक तथ्यों के विपरित होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। जो सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी की अप्रार्थी संख्या 01 व 02 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और इस आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2013 को गीता देवी को विक्रय कर कब्जा दे दिया और गीता देवी का ही कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी कभी अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं रही है। इस आराजी के संबंध में पूर्व में भी मुकम्मिल जांच की जाकर उप खण्ड अधिकारी, चाकसू ने दिनांक 06.11.2015 को आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि को अब्दुल रहमान बनाम सरकार की श्रेणी में नहीं माना और तय पाया कि प्रकरण रेफरेंस किये जाने की श्रेणी में नहीं आता है इसके बावजूद भी तहसीलदार, चाकसू ने रेफरेंस प्रार्थना–पत्र पेश किया है। इस प्रकार बार–बार एक ही तथ्य के साथ रेफरेंस किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रकरण पेश करना कतैय गैर–कानूनी एवं जानबूझकर अपराधकारित करने की श्रेणी में आता है इस लिहाज से प्रकरण समेरेली मय खर्चा विशेष खारिज योग्य व ड्रॉप किये जाने योग्य है। जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 के खाता संख्या 1 में सिवायचक लगानी (कृषि योग्य भूमि) में खसरा नम्बर 334/1 रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा में से नामांतरकरण संख्या 203 दिनांक 05.12.1972 द्वारा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि गैर

Scanned with OKEN Scanner

मुमकिन तालाब में परिवर्तित की गई है चूंकि उक्त कृषि योग्य एवं आवंटन योग्य होने के कारण तालाब के लिये अलग से किस्म परिवर्तन की गई थी तथा इसी खसरा नंबर 334/1 में कृषि योग्य एवं आवंटन योग्य होने से आवंटन दिनांक 06.07.1966 द्वारा व नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 22.06.1973 द्वारा कालू पुत्र परताबा जाट को 12 बीघा भूमि बटा नंबर 334/1/344 द्वारा गैर-खातेदारी में दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2004 एवं भूमि एकीकरण खतौनी बंदोबस्त संवत् 2004 एवं भूमि एकीकरण खतौनी मिसल संवत् 2018 अनुसार सिवायचक लगानी काबिल काश्त एवं आवंटन के खाते में ही दर्ज थी। अप्रार्थियागण के विद्वान् अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि पूर्व में किये गये सर्वे (अब्दुल रहमान) में भी वादग्रस्त भूमि को रेफरेंस योग्य नही होने से सर्वे सूचि में शामिल नहीं किया गया था इस लिहाज से तथा इन तथ्यों के आधार पर मौजूदा प्रकरण पर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है जो खारिज योग्य है। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू ने संपूर्ण मामले की विस्तृत जानकारी कर पूर्व में पेश किये गये आरोप-प्रत्यारोप तथा आवेदनों पर अपना निष्कर्ष निकालते हुये दिनांक 06.11.2015 को आदेश पारित कर दिया कि प्रकरण की जैर आराजी अब्दुल रहमान बनाम सरकार की श्रैणी में नहीं आती है न रेफरेंस की श्रैणी में आती है। इसकी सूचना तहसीलदार, चाकसू को तथा जिला कलक्टर को दिनांक 06.11.2015 को ही भिजवा दी थी इसके बावजूद भी तहसीलदार, चाकसू ने दिनांक 12.03.2016 को अब्दुल रहमान बनाम सरकार की श्रैणी में प्रकरण आराजी को मानकर रेफरेंस किये जाने का आवेदन पेश किया है इससे स्पष्ट है कि जानबूझकर परेशान किये जाने की नियत से रेफरेंस प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेफरेंस प्रार्थना-पत्र कतैय इल-लिगल एंड अगेनस्ट प्रिंसीपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस होने के कारण निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि प्रकरण बाबत् रेफरेंस हाल खसरा नंबर 1299 रकबा 3.04 हैक्टेयर ग्राम सवाईमाधोसिंपुरा तहसील चाकसू निरस्त/ड्रॉप किया जावे।

पूर्व रेफरेन्स प्रकरण संख्या 395/2016 सरकार बनाम देवरी वगैराह में गीता देवी पत्नी श्री प्रकाश सिंह लोधा निवासी-वार्ड नं0-3 कस्बा चाकसू द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार, चाकसू द्वारा दिया प्रार्थना-पत्र रेफरेंस कतई गलत वेग तथा वास्तविक तथ्यों के विपरित होने के कारण स्वीकार नहीं है। समेरेली खारिज योग्य है। प्रकरण वादग्रस्त भूमि देवकी धर्मपत्नि हनुमानसहाय तथा सुगना देवी पत्नि रामसहाय गूजर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2013 को प्रार्थिया गीता देवी को विक्रय कर कब्जा दे दिया और गीता देवी को कोई नोटिस नहीं दिया न इस का हवाला तहसीलदार ने अपने आवेदन रेफरेंस में दिया इस कारण किया गया

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

रेफरेंस कार्यवाही वेग वास्तविकता से परे होने के खारिज योग्य है। प्रार्थिया ने 22,21,000/– रूपये अदा कर नियमानुसार दर्ज खातेदार काबिज खातेदारान से क्रय कर अपनी ईच्छानुसार उपभोग उपयोग कर रही है। प्रकरण में पूर्व में मुकम्मिल जांच की जाकर उप खण्ड अधिकारी, चाकसू ने दिनांक 06.11.2015 को आदेश पारित कर प्रकरण हाजा की वादग्रस्त भूमि को उल्लेखित अब्दुल रहमान बनाम सरकार की श्रेणी में नहीं माना और तय पाया कि प्रकरण रेफरेंस किये जाने की श्रेणी में नहीं आता है तो फिर पुनः तहसीलदार, चाकसू ने रेफरेंस किये जाने का प्रार्थना–पत्र कैसे पेश कर दिया। बार–बार एक ही तथ्य के साथ रेफरेंस किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रकरण पेश करना कतैय गैर–कानूनी एवं जानबूझकर अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है इस लिहाज से प्रकरण समेरेली मय खर्चा विशेष खारिज योग्य व ड्रॉप किये जाने योग्य है। जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 के खाता संख्या 1 में सिवायचक लगानी (कृषि योग्य भूमि) में खसरा नम्बर 334/1 रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा में से नामांतरकरण संख्या 203 दिनांक 05.12.1972 द्वारा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन तालाब में परिवर्तित की गई है चूंकि उक्त कृषि योग्य एवं आवंटन योग्य होने के कारण तालाब के लिये अलग से किस्म परिवर्तन की गई थी तथा इसी खसरा नंबर 334/1 में कृषि योग्य एवं आवंटन योग्य होने से आवंटन दिनांक 06.07.1966 द्वारा व नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 22.06.1973 द्वारा कालू पुत्र परताबा जाट को 12 बीघा भूमि बटा नंबर 334/1/344 द्वारा गैर–खातेदारी में दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2004 एवं भूमि एकीकरण खतौनी बंदोबस्त संवत् 2004 एवं भूमि एकीकरण खतौनी मिसल संवत् 2018 अनुसार सिवायचक लगानी काबिल काश्त एवं आवंटन के खाते में ही दर्ज थी, विशेष निवेदन एवं उल्लेखनीय है कि पूर्व में किये गये सर्वे (अब्दुल रहमान) में भी उक्त भूमि को रेफरेंस योग्य नही होने से सर्वे सूचि में शामिल नहीं किया गया था इस लिहाज से तथा इन तथ्यों के आधार पर मौजूदा प्रकरण पर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है जो खारिज योग्य है। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू ने संपूर्ण मामले की विस्तृत जानकारी कर पूर्व में पेश किये गये आरोप–प्रत्यारोप तथा आवेदनों पर अपना निष्कर्ष निकालते हुये दिनांक 06.11.2015 को आदेश पारित कर दिया कि प्रकरण की जैर आराजी अब्दुल रहमान बनाम सरकार की श्रेणी में नहीं आती है न रेफरेंस की श्रेणी में आती है। इसकी सूचना तहसीलदार, चाकसू को तथा जिला कलक्टर को दिनांक 06.11.2015 को ही भिजवा दी थी तो फिर तहसीलदार, चाकसू ने दिनांक 12.03.2016 को अब्दुल रहमान बनाम सरकार की श्रेणी में प्रकरण आराजी को मानकर रेफरेंस किये जाने का आवेदन क्यों पेश किया इससे स्पष्ट है कि बार–बार जानबूझकर परेशान किया जा रहा है इस लिहाज से प्रकरण ड्रॉप किये

Scanned with OKEN Scanner

जाने योग्य है। रेफरेंस नोटिस कतैय इलिगल एंड अगेनस्ट प्रिंसीपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस होने के कारण निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि प्रकरण बाबत् रेफरेंस हाल खसरा नंबर 1299 रकबा 3.04 हैक्टेयर ग्राम सवाईमाधोसिंपुरा तहसील चाकसू निरस्त/ड्रॉप किया जावे।

राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1107 रकबा 09 बीघा आराजी खसरा नम्बर 1108 रकबा 13 बीघा सिवायचक लगानी किस्म जमीन तालाबी सरकारी अव्वल दर्ज है जो कालू पुत्र परताबा को दिनांक 06.07.1966 को आवंटन किये जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या–222 दिनांक 22.06.1973 से कालू पुत्र परताबा के नाम दर्ज हुई। सम्वत् 2021 में ग्राम का एकीकरण होने के पश्चात् वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर–1107, 1108 परिवर्तित होकर खसरा नम्बर–334 रकबा 362 बीघा 07 बिस्वा में सम्मिलित हुए। वादग्रस्त आराजी विक्रय किये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी देवकी एवं सुगना देवी के नाम दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक तालाबी सरकारी अव्वल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी संवत् 2069–2072 निजी खातेदारी में दर्ज है जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में यह आराजी सिवायचक तालाबी सरकारी अव्वल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी खातेदारी हेतु/आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। तहसीलदार, चाकसू द्वारा दिनांक 24.06.2016 को पटवारी हल्का/गिरदावर हल्का कोथून के साथ मय राजस्व रिकार्ड के ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा के साविक रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल एवं भू0प्र0 नक्शा सम्वत् 2004, एकीकरण सम्वत् 2018 एवं वर्तमान पटवारी नक्शें से वाबिक खसरा नम्बरान का मिलान करके मौका निरीक्षण किया गया है। वादग्रस्त आराजी के ख0न0 1299 रकबा 3.04 है ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा के बन्धे की पाल से लगभग 225 मीटर की दूरी पर स्थित है बांध में वर्षा का पानी भरने पर भूमि डूब में रहती है। वादग्रस्त भूमि तालाब पेटा में है। मौका निरीक्षण एवं राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है। वादग्रस्त

न्यायालय अति. कलक्टर (...) जयपुर

आराजी खसरा नंबर 1299 साबिका खसरा नंबर 1108 में 11 बीघा व खसरा नंबर 1107 से 1 बीघा से मिलाकर बनाये है इस प्रकार कुल 12 बीघा भूमि का नियमों के विपरीत आवंटन हुआ है। अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक लगानी तालाबी सरकारी अव्वल की आराजी की खातेदारी अप्रार्थीगण को दी गई है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध खातेदारी का राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में किये गये आवंटन एवं इसके पश्चात् दी गई खातेदारी के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये खातेदारी इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम सवाईमाधोसिंपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1107 रकबा 09 बीघा आराजी खसरा नंबर 1108 रकबा 13 बीधा सिवायचक लगानी किस्म जमीन तालाबी अव्वल दर्ज है जिसके एकीकरण के पश्चात् नये नंबर 334 बने है। यह आराजी खतौनी एकीकरण संवत् 2018 में भी सिवायचक लगानी किस्म जमीन तालाबी अव्वल दर्ज है। कालू पुत्र श्री परताबा कौम जाट को दिनांक 06.07.1966 को आवंटन हो जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या–222 दिनांक 22.06.1973 द्वारा आवंटी कालू के नाम दर्ज की गई है। इस आराजी के हाल आराजी खसरा नम्बर 1299 रकबा 3.04 हे0 की खातेदारी अप्रार्थी देवकी हिस्सा 1/2 सुगना देवी हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक लगानी किस्म जमीन तालाबी अव्वल आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए जाने का कथन पेरोकार सरकार ने वरवक्त बहस किया है और दिनांक 24.06.2016 को तहसीलदार चाकसू द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने पर वादग्रस्त आराजी को ग्राम सवाईमाधोसिंहपुरा के बंधे की पाल से लगभग 225 मीटर की दूरी पर स्थित होना जाहिर किया है और बांध में वर्षा का पानी भरने पर भूमि को डूब में रहना जाहिर किया है। वादग्रस्त आराजी को तालाब पेटा में होना जाहिर किया है। इसके विपरीत अप्रार्थिया संख्या 01 व 02 के विद्वान अभिभाषक ने वरवक्त

बहस कथन किया है कि उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था/15/2448 दिनांक 06.11.2015 द्वारा पटवारी हल्का सवाईमाधोसिंहपुरा की वादग्रस्त आराजी के संबंध में नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत चल रही जांच से वादग्रस्त आराजी अब्दुल रहमान/सरकार रेफरेंस की श्रेणी में नहीं आना पाया है और स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि प्रकरण रेफरेंस योग्य नहीं होने से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपी को आरोपों से मुक्त किया जाता है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा अपने कार्यालय आदेश दिनांक 06.11.2015 में प्रकरण रेफरेंस योग्य नहीं होना पाया गया है साथ ही राजस्व भू-राजस्व (सर्वे, रिकार्ड तथा सेटलमेन्ट) (सरकारी) नियम, 1957 के नियम 39(1) राजस्थान में भूमि का विभाजन क-सिंचित 1. चाही कुओं द्वारा सिंचित 2. नहरी और तालाबी नहर या तालाबों से सिंचित 3. दीगर अन्य साधनों से सिंचित होना जाहिर किया गया है। वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2004-2023 में सिवायचक लगानी तालाबी अव्वल दर्ज है, अब्दुल रहमान बनाम सरकार की परिधि में 15.08.1947 की स्थिति देखनी है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी सिवायचक लगानी होने से अब्दुल रहमान बनाम सरकार की परिधि में माना जाना न्याय-संगत नहीं है।

अतः उक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र ड्रॉप किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23..08.2023 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

नीलिमा

(नीलिमा तक्षक)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner